कार्यालय कार्य प्रबन्धक
सिंचाई कार्यशाला खण्ड
मेरठ

<u>नीलामी सूचना संख्या–04/2017–2018</u>

महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सिंचाई कार्यशाला खण्ड मेरठ के अधीनस्थ परिसर में निम्नाकिंत तालिका के अनुसार निम्नलिखित निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी दिनांक 09.01.2018 की अपरान्ह 01:00 बजे प्राधिकृत समिति द्वारा इस खण्ड के भण्डार परिसर में की जायेगी।

बोलीदाताओं (जो जी0एस0टी0/वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत हों) को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। इच्छुक फर्म/व्यक्ति निष्प्रयोज्य सामग्री का निरीक्षण नीलामी की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक उक्त स्थान पर सहायक अभियन्ता (द्वितीय)/अवर अभियन्ता (भण्डार) सिंचाई कार्यशाला खण्ड मेरठ से सम्पर्क करके कर सकते हैं। बोलीदाताओं को बोली की तिथि से एक दिन पूर्व दिनांक 08.01.2018 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक निम्न तालिका के अनुसार धरोहर राशि को बैंक ड्राफ्ट अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत फिक्स्ड डिपाजिट के रूप में जो Works Manager, Irrigation Workshop Division, Meerut के पक्ष में देय हों, के रूप में जमा करनी होगी एवं उसे पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जमा कर टोकन प्राप्त करना आवश्यक होगा। उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि, धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए नीलामी समाप्त होने पर तुरन्त जमा करनी होगी अन्यथा बोलीदाता द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि सरकार के पक्ष मे जब्त कर ली जायेगी। नीलामी की बोली सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति होने के पश्चात उच्चतम बोलीदाता द्वारा शेष धनराशि जमा नीलामी की कुल धनराशि पर देय जी0एस0टी0 एवं अन्य करों सहित कुल धनराशि 15 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी। जिसे जमा न करने पर बोलीदाता के पक्ष मे स्वीकृत की गयी नीलामी को निरस्त करते हुये उसकी जमा की गयी धनराशि सरकार के पक्ष मे जब्त कर ली जायेगी। अन्य बोलीदाताओं की धरोहर धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद अवमुक्त कर दी जायेगी।

क0सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	धरोहर राशि	नीलामी की तिथि व स्थान
1	2	3	4	5
1–	निष्प्रयोज्य टर्निंग स्क्रैप	3118.50 किग्रा0	रू0 1,600.00	09.01.2018 सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ
2–	पी0वी0सी0 रबर स्क्रैप	1000.00 किग्रा0	रू0 1,000.00	09.01.2018 सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ

क्मशः ....(2)

नियम व शर्तेः–

1. उपरोक्त निष्प्रयोज्य सामग्री की बोली जहॉ है जैसे है के आधार पर की जायेगी।
2. धरोहर राशि एक से अधिक टुकडो में स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. एक या समस्त बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही है इस संबंध मे नीलामी बोलीदाताओं का कोई दावा मान्य नही होगा।
4. बोली की धनराशि पर नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं अन्य कर यदि कोई देय है बोली की राशि से अतिरिक्त बोलीदाता द्वारा विभाग को अलग से देय होगा।
5. नीलामी के संबंध मे यदि कोई विवाद होता है तो उसका आर्बीटेशन अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यशाला मण्डल, लखनऊ के द्वारा किया जायेगा, जो बोलीकर्ता को मान्य होगा।
6. बोली स्वीकृत होने पर बोलीदाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि देय सभी करो सहित जमा करने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर ही निष्प्रयोज्य सामग्री बोलीदाता द्वारा अपने खर्चे पर उठानी होगी अन्यथा विभाग द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क अलग से लगाया जा सकता है। निष्प्रयोज्य सामग्री प्राप्त करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा पहचान के रूप मे पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की मूलप्रति प्रेषित करनी होगी।
7. उक्त तिथि पर किन्ही कारणो से नीलामी नही की जाती है तो किसी का किसी प्रकार का दावा मान्य नही होगा एवं सभी प्रकार के सम्पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगें।
8. बोली स्वीकृत होने तक अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा जमा की गयी धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज अथवा अन्य कोई दावा मान्य नही होगा।
9. कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के स्थान पर बोली नही लगा सकता।
10. अधिकतम बोली बोलने वाले की बोली की धनराशि का अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा नही किया जाता है, तो नीलामी निरस्त कर दी जायेगी तथा धरोहर राशि को वापिस कर दिया जायेगा। इसके उपरान्त सामग्री प्राप्ति का दावा मान्य नही होगा।
11. फर्म/बोलीदाता के पास जी0एस0टी0 नम्बर होना अनिवार्य है, अन्यथा नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा।

कार्य प्रबन्धक
सिंचाई कार्यशाला खण्ड
मेरठ